Samanjasya सामंजस्य **Volume 02, Number 02, December 2025**
ISSN: 3049-3269 (Online) **Page Number: 158 - 171**

बिहार की राजधोबी जाति और उनका विकासः कुछ प्रमुख मुद्दें

राजीव कमल कुमार [1], सुनीता [2], उपेन्द्र प्रसाद रजक [3], §

सारसंक्षेपः राजधोबी जाति, धोबी की ही एक उपजाति है जो सिर्फ बिहार के उत्तरी इलाकों में निवास करती है। वर्तमान समय में यह जाति अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अनुसूची में दर्ज हैं। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक हर स्तर पर ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इन्हीं कारणों से यह जाति अनुसूचित जाति की श्रेणी प्राप्त करने की मांग काफी समय से कर रही है। इस अध्ययन का उद्देश्य राजधोबी जाति की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर इस जाति की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है। इस अध्ययन में जनगणना विधि का प्रयोग किया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि यह जाति सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर सबसे निम्न श्रेणी में आती है और अत्यंत पिछड़ी है। उच्च जाति के लोग आज भी इनके हाथों से पानी पीने से परहेज करते हैं। विकास के सभी सूचकांक यथा शिक्षा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य आदि में भी राजधोबी समुदाय के लोग अत्यन्त पिछड़े हैं।

मुख्य शब्दः राजधोबी जाति, विकास, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्तर, परम्परागत पेशा।

---

[1] समाज शास्त्र एवं सामाजिक मानवविज्ञान विभाग, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, गाँधी मैदान, पटना – 800001, बिहार, भारत। **E-Mail:** rkamalanthro@gmail.com

[2] इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, खगौल, पटना - 801105, बिहार, भारत। **E-Mail:** sunita.mini08@gmail.com

[3] शोध पदाधिकारी, अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान, गाँधी मैदान, पटना – 800001, बिहार, भारत। **E-Mail:** upendra.ansiss@gmail.com

§ Manuscript received: 15-12-2025; accepted: 30-12-2025.
Samanjasya, Volume 02, Number 02 © Zakir Husain Delhi College, 2025; all rights reserved.

भूमिका

राजधोबी जाति बिहार के उत्तरी इलाके के सिर्फ पांच जिलों यथा मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णियाँ और सहरसा में निवास करती हैं। यह जाति हाल के दिनों में अस्तित्व में आई है। यह जाति धोबी की ही उपजाति है। राजधोबी जाति के लोग खुद को धोबी ही मानते हैं क्योंकि कुछ दशक पहले तक ये लोग भी धोबी जाति के अभिन्न अंग थे। इस जाति के लोग अपने नाम में कई तरह का उपनाम लिखते हैं जैसे-विश्वास, पैकरा, मांझी, राउत, लौगी, सन्त, कापैर, दास, परमाणी, परिहस्त, खड़गा, अधिकारी, ईशर इत्यादि। ये उपनाम धोबी जाति के उपनामों से भिन्न हैं।

चूंकि राजधोबी जाति के ऊपर बहुत कम अध्ययन हुआ तथा इनकी उत्पत्ति भी हाल में धोबी जाति से हुई है, इसलिए राजधोबी समुदाय को व्यापक स्तर पर समझने के लिए धोबी जाति के बारे में भी समझना जरूरी है। धोबी एक ऐसी जाति समूह है जो मूलतः भारत और पाकिस्तान में रहते हैं एवं मुख्य रूप से कपड़े धोने का काम करते हैं। इस समुदाय के ज्यादातर लोग कई पीढ़ियों से कपड़े धोने का काम करते रहे हैं (सच्चिदानन्द, 1976; सिंह, 1998)। ऐसा माना जाता है कि धोबी समुदाय के पूर्वज कपड़े धोने का काम करते रहे हैं, परन्तु इनकी उत्पत्ति अलग-अलग हो सकती है। कई पीढ़ियों से एक ही पेशा अपनाने की वजह से यह समुदाय धीरे-धीरे धोबी जाति के रूप में विकसित हो गयी। इस जाति में और भी अन्य जातियों की तरह स्वजातीय विवाह (अंतर्विवाही-endogamous) होते हैं।

धोबी जाति में कई प्रकार के गोत्र हैं परन्तु राजधोबी जाति में सिर्फ कश्यप गोत्र की जानकारी मिली है। ये लोग हिन्दू धर्मावलम्बी हैं। हिन्दू धर्म के अनुसार अपने कुल देवी एवं कुल देवता की पूजा करते हैं। इनकी अपनी कोई भाषा या बोली नहीं है बल्कि ये लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा अथवा बोली बोलते हैं। इस जाति के लोग कहीं शुद्ध मैथिली, कहीं ठेठ मैथिली या ठेठ अंगिका बोलते हैं। हिंदी भाषा से इस समुदाय के सभी लोग अवगत हैं एवं यह सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। इनका परंपरागत पेशा कपड़ा धोना रहा है, लेकिन इस पेशे से इनका गुजारा अब मुश्किल से चल पाता है। यही वजह है कि अब ज्यादातर लोग अपने पांरपरिक पेशे को छोड़कर खेती और मजदूरी करने लगे हैं। कई लोग रोजगार की तलाश में गांव के बाहर भी पलायन को मजबूर हुए हैं।

परिचर्चा

बिहार में राजधोबी जाति मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णियाँ और सहरसा में पाई जाती हैं। कुछ दशक पहले तक इनलोगों का मूल निवास-स्थान 'भारदह' गाँव था जो कि भारत का हिस्सा हुआ करता था। वर्तमान में कोसी नदी के कटाव के कारण यह गाँव नेपाल का हिस्सा हो गया है। कटाव के दौरान इस गाँव से विस्थापित होकर राजधोबी समुदाय के लोग अलग-अलग गाँवों में बस गए थे। ये सभी गाँव कोसी नदी के क्षेत्र में थे जिनमें मैनहीं, ढोली, दिघिया, दुधैला, मौरा, झहुरा, डेंगराही, बेला, औरही, भुलिया, बलथरवा एवं लालमनपट्टी गाँव थे। इन 12 गाँवों में से कुछ गाँव ऐसे हैं जो वर्तमान में कोसी नदी के बाहर गाईड बाँध (रक्षा बाँध) के किनारे बसे हुए हैं और कुछ गाँव अभी भी बाँध के अन्दर हैं।

इस जाति की आबादी सबसे ज्यादा सुपौल में और सबसे कम सहरसा जिले में है। राजधोबी जाति मूलरूप से धोबी जाति से ही उत्पन्न मानी जाती हैं। धोबी शब्द 'धोना' से विकसित हुआ है। धोबी जाति धोब, धूपी, धोवा और धोबी के नामों से भी जाने जाते हैं।

यह जाति फिलहाल बिहार सरकार के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रम संख्या-70 पर दर्ज है एवं केन्द्रीय सूची में अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के क्रमांक संख्या-107 एवं प्रवेश संख्या-106 पर दर्ज है। काफी समय से राजधोबी जाति अपने लिए अनुसूचित जाति श्रेणी में रखे जाने की मांग कर रही है। इसकी वजह यह है कि इनकी मुख्य जाति धोबी को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है, एवं इनकी स्थिति अपनी मुख्य जाति धोबी की तुलना में और अधिक खराब है फिर भी इन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। राजधोबी उत्तरदाताओं के अनुसार यह जाति भी सन् 1964 तक इसी श्रेणी में आती थी।

प्रस्तुत शोध लेख का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य के राजधोबी जाति की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक संरचना, अंतर-नीजी संबंध आदि का अध्ययन करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्य राजधोबी जाति का संक्षिप्त नृजातीय ब्यौरा पेश करना, इनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का अध्ययन करना एवं सामाजिक बाधाएं जैसे अस्पृश्यता, पारंपरिक सेवायें प्रदान करने की मजबूरी, पड़ोसी या अन्य जातियों के साथ लोकाचार एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना है।

शोध प्रविधी

सर्वप्रथम इस बात की महत्ता को स्वीकार किया गया कि राजधोबी जाति से संबंधित यह अध्ययन एक नृजातीय अध्ययन है इसलिए इस विषय पर अधिकतर सामग्री प्राथमिक स्त्रोतों से ही ली जा सकती है। इसके साथ ही द्वितीयक स्त्रोतों से प्राप्त साम्रग्रियों का भी आवश्यकतानुसार शोध में उपयोग किया गया, हालांकि इस जाति के ऊपर अलग से कोई विस्तृत अध्ययन उपलब्ध नहीं है। अध्ययन में गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया गया परन्तु प्राथमिकता गुणात्मक विधि को दी गई है क्योंकि गुणात्मक विधि के द्वारा ही गहराई से विषय वस्तु को समझा जा सकता है।

यह अध्ययन जनगणना विधि द्वारा किया गया है जिसमें राजधोबी समुदाय के शत-प्रतिशत परिवारों को शामिल किया गया है। इस अध्ययन के लिए 5 जिलों मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णियाँ और सहरसा के 14 प्रखण्डों के 50 गाँवों, जहाँ कहीं भी इस समुदाय की आबादी थी, वहाँ का भ्रमण किया गया। इससे एक बड़ा लाभ यह हुआ कि इस समुदाय के आँकड़ें जो अभी तक पूरी तरह से उपलब्ध नहीं थे उन्हें जुटाने की कोशिश की गई। प्राथमिक आँकड़ें विभिन्न प्रकार के शोध उपकरणों यथा साक्षात्कार अनुसूची, अवलोकन, सामुहिक परिचर्चा तथा अनौपचारिक तौर पर समुदाय के सदस्यों से बातचीत द्वारा संग्रहित किया गया है।

शोध एवं आँकड़ों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए कई जरूरी कदम भी उठाये गए जैसे - आँकड़ों की जाँच क्षेत्र स्तर पर भी की गई, शोध के उपकरणों एवं तकनीकों की पूर्ण जाँच की गई, इस शोध के साथ पूरी नैतिकता एवं सावधानी बरतते हुए आँकड़ों का संग्रहण किया गया। आँकड़ों को एकत्र करने के बाद इनका सावधानी पूर्वक संकलन एवं संपादन किया गया। प्रस्तुत अध्ययन विषुद्ध रूप से गुणात्मक अध्ययन है इसलिए आँकड़ों को संग्रह के लिए साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया। इसके साथ ही आँकड़ा संग्रहण करने से पहले द्वितीयक स्त्रोतों से उपलब्ध सामग्रियों की भी गहन समीक्षा की गई।

निम्नलिखित तालिका 1 में राजधोबी जाति की जिलावार घरों की संख्या के साथ पुरूषों एवं महिलाओं की जनसंख्या भी दी गई है। इस जाति की राज्य भर में कुल परिवारों की संख्या सिर्फ 3234 है। इनकी कुल जनसंख्या 15578 है। पुरूषों की संख्या (51.4 प्रतिशत) महिलाओं से थोड़ी अधिक है। सुपौल जिले में इनकी जनसंख्या सर्वाधिक है एवं सहरसा जिले में सबसे कम जनसंख्या है।

तालिका 1ः जिलावार राजधोबी परिवारों की संख्या एवं लिंग वार जनसंख्या

क्र0 सं0	जिला	घरों की कुल संख्या	जनसंख्या				कुल जनसंख्या
			पुरूष		महिला		
			सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	221	649	50.7	630	49.3	1279
2	सुपौल	2291	5961	53.3	5230	46.7	11191
3	अररिया	428	1020	54.5	853	45.5	1873
4	पूर्णियाँ	285	657	55.4	528	44.6	1185
5	सहरसा	9	24	48.0	26	52.0	50
कुल		3234	8311	53.4	7267	46.6	15578

प्रस्तुत अध्ययन में राजधोबी जाति के सभी परिवारों को शामिल किया गया है। इस समुदाय के लोग सिर्फ बिहार राज्य के कुछ जिलों में बसे हैं। पूरे राज्य में कुल परिवारों की संख्या सिर्फ 3234 है जिसमें अधिकतर एकल परिवार (85.0 प्रतिशत) हैं और बाकी बचे संयुक्त परिवार हैं (तालिका 2)। एकल परिवार की संख्या पलायन की वजह से भी अधिक है। बच्चों की शादी होने के बाद वे या तो अपना अलग घर बना लेते हैं या फिर अपना चूल्हा अलग कर लेते हैं।

तालिका 2ः परिवार के स्वरूप के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार विवरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	एकल परिवार		संयुक्त परिवार		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	155	70.1	66	29.9	221
2	सुपौल	1986	86.7	305	13.3	2291
3	अररिया	356	83.2	72	16.8	428
4	पूर्णियाँ	247	86.7	38	13.3	285
5	सहरसा	6	66.7	3	33.3	9
कुल		2750	85.0	484	15.0	3234

आर्थिक स्थिति

इस जाति के अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसी वजह से समुदाय के अधिकांश परिवारों में कोई न कोई सदस्य जिले एवं राज्य से बाहर मजदूरी करते हैं। कुछ लोग शहरों में नौकरी अथवा व्यवसाय भी करते हैं। महिलाएं एवं बच्चे भी आर्थिक उपार्जन में परिवार की मदद करते हैं। इनका परम्परागत पेशे कपड़ा धोना रहा है परन्तु अब इस पेशे से इनका गुजारा चलना मुश्किल हो गया है। ज्यादातर परिवार अभी भी कोसी क्षेत्र में बसे हुए हैं, परन्तु अब ये अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर खेती एवं मजदूरी करने लगे हैं। कुछ लोग बटाई की जमीन जोतते हैं तथा कुछ लोग अपने गृह जिला या राज्य में मजदूरी करने के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी जाकर जीविकोपार्जन के लिए तरह-तरह के काम करते हैं। इनमें मुख्यतः खेतों में मजदूरी, होटलों और घरों में नौकर के रूप में काम करना, ईंट-भट्ठा पर काम करना इत्यादि है। इसके अतिरिक्त इस समुदाय के लोग छोटी-मोटी कारीगरी एवं पशुपालन इत्यादि का कार्य भी करते हैं।

जीविकोपार्जन हेतु महिलाएँ और पुरूष आपसी सहयोग से काम करते हैं। महिलाएँ घरेलू कामों के अलावा चटाई/पटिया बुनने के साथ-साथ मजदूरी भी करती हैं। बच्चे भी घर के छोटे-मोटे कामों के अलावा मवेशियों की देखभाल करते हैं। खराब आर्थिक स्थिति की वजह से एक तिहाई से ज्यादा लोग बच्चों से मजदूरी करवाते हैं। अध्ययन के दौरान यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से उभरकर आई कि ज्यादातर लोग अपने पारम्परिक पेशे को छोड़ कर अन्य कार्यों में लग गए हैं। परन्तु वर्त्तमान पेशे से भी एक तिहाई से ज्यादा (35.3 प्रतिशत) लोग असंतुष्ट हैं। इसकी मुख्य वजह नियमित रोजगार का अभाव, कम दैनिक मजदूरी एवं पलायन है (तालिका 3 एवं 4)।

तालिका 3: परम्परागत पेशे के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	कपड़ा धोना		कपड़ा धोना और चटाई बुनना		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	132	59.7	89	40.3	221
2	सुपौल	1904	83.1	387	16.9	2291
3	अररिया	412	96.3	16	3.7	428
4	पूर्णियाँ	196	68.8	89	31.2	285
5	सहरसा	9	100.0	0	0.0	9
कुल		2653	82.0	581	18.00	3234

तालिका 4: वर्तमान पेशा से संतुष्ट होने के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	हाँ		नहीं		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	139	62.9	82	37.1	221
2	सुपौल	1508	65.8	783	34.2	2291
3	अररिया	276	64.5	152	35.5	428

4	पूर्णियाँ	163	57.2	122	42.8	285
5	सहरसा	8	88.9	1	11.1	9
कुल		2094	64.7	1140	35.3	3234

इस समुदाय के लोगों का रहन-सहन बहुत ही निम्न स्तर का है। इनकी आर्थिक स्थिति इतनी अधिक खराब है कि ज्यादातर लोग (81.8 प्रतिशत) कर्ज में डूबे हुए हैं (तालिका 5)। ज्यादातर लोग कर्ज भी बहुत अधिक सूद पर गाँव के ही महाजन से लेते हैं। सरकारी बैंकों से संस्थागत लोन के बारे में इन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। गरीबी के कारण बहुत कम लोग बढ़िया और मजबूत घर बना पाए हैं। अधिकांश लोग (79.04 प्रतिशत) फूस की झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं। महज 0.9 प्रतिशत लोग पक्के घरो में रहते हैं तथा बाकी 15.9 प्रतिशत कच्चे घरों तथा 2.8 प्रतिशत अर्धपक्के घरों में रहते हैं (तालिका 6)। इनके घरों में मूलभूत सुविधाओं का भी काफी अभाव है। अर्द्धपक्के एवं पक्के घर ज्यादातर शहरों में रह रहे राजधोबी समुदाय के लोगों के पास हैं।

तालिका 5ः कर्ज के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	हाँ		नहीं		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	207	93.7	14	6.3	221
2	सुपौल	1890	82.5	401	17.5	2291
3	अररिया	326	76.2	102	23.8	428
4	पूर्णियाँ	219	76.8	66	23.2	285
5	सहरसा	4	44.4	5	55.6	9
कुल		2646	81.8	588	18.2	3234

तालिका 6ः घरों के प्रकार के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	फुस की झोपड़ी		कच्चा घर		अर्द्धपक्का		पक्का		कुल
		सं0	%	सं0	%	सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	212	95.9	7	3.2	1	0.5	1	0.5	221
2	सुपौल	2005	87.5	242	10.6	38	1.7	6	0.3	2291
3	अररिया	201	47.0	194	45.3	26	6.1	7	1.6	428
4	पूर्णियाँ	149	52.3	103	36.1	27	9.5	6	2.1	285
5	सहरसा	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0	9
कुल		2567	79.4	546	16.9	92	2.8	29	0.9	3234

खान-पान एवं स्वास्थ्य

ज्यादातर घरों में शुद्ध पीने का पानी एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये लोग सामुदायिक चापाकल या पड़ोसी के चापाकल से पानी लाते हैं। समुदाय के अधिकांश लोग मांसाहारी भोजन करते हैं जो इनकी संस्कृति का हिस्सा भी है। आज भी 68.0 प्रतिशत घरों में पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है।

कुछ ही लोगों के घरों में अपना चापाकल है, अधिकांश लोग सरकारी अथवा सामूहिक चापाकल पर आश्रित हैं। कोसी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पानी के लिए अधिकतर लोगों को नदी एवं नहर पर निर्भर करना पड़ता है। शौच के लिए नदी-तालाब, नहर, खेत या खुले मैदान एवं बाँसवाड़ी जैसे जगहों पर जाते हैं। केवल 3.7 प्रतिशत घरों में शौचालय की व्यवस्था है। गरीबी के कारण सभी परिवार अपने घरों में चापाकल एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। सरकार का दावा है कि जरूरी सुविधाएँ जैसे सड़क, बिजली एवं पानी हर जगह उपलब्ध है, परन्तु अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि करीब आधी आबादी डिबिया एवं लालटेन जलाकर रौशनी करती है। सिर्फ एक तिहाई घरों में बिजली की व्यवस्था है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है (तालिका 7)।

तालिका 7ः घरों के अन्दर साफ पेयजल, शौचालय एवं बिजली की व्यवस्था (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	पेयजल		शौचालय		बिजली	
		सं0	%	सं0	%	सं0	%
1	मधुबनी	100	45.2	8	3.6	0	0.0
2	सुपौल	602	26.3	29	1.3	701	30.6
3	अररिया	199	46.5	20	4.7	209	48.8
4	पूर्णियाँ	126	44.2	62	21.8	147	51.6
5	सहरसा	9	100.0	9	100.0	9	100.0
कुल		**1036**	**32.0**	**128**	**4.0**	**1066**	**33.0**

भोजन बनाने के लिए सबसे अधिक (71.8 प्रतिशत) परिवारों ने कहा कि वे लकड़ी, गोयठा, कंडा आदि का इस्तेमाल करते हैं जो मुफ्त में उपलब्ध है परन्तु निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। महज 28.2 प्रतिशत परिवार ही गैस चूल्हा एवं किरोसिन स्टोव का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने के आधुनिक साधन इन गाँवों में बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है। उपलब्धता सुनिश्चित हो जाये तब भी ज्यादातर परिवार गैस एवं स्टोव का खर्चा नहीं उठा पायेंगे। इन साधनों का उपयोग ज्यादातर शहरो में रह रहे राजधोबी परिवार करते हैं (तालिका 8)। इस समुदाय के ज्यादातर लोग मदिरापान करते हैं। कुछ महिलाएं भी इनमें संलिप्त हैं।

तालिका 8ः भोजन बनाने में इंघन का प्रयोग (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	गोयठा/कंडा एवं लकड़ी		गैस चुल्हा एवं किरोसिन स्टोव		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	134	60.6	87	39.4	221
2	सुपौल	1493	65.2	798	34.8	2291
3	अररिया	417	97.4	11	2.6	428
4	पूर्णियाँ	279	97.9	6	2.1	285
5	सहरसा	0	0.0	9	100.0	9
कुल		**2323**	**71.8**	**911**	**28.2**	**3234**

शिक्षा एवं विकास

इस जाति की शैक्षणिक स्थिति भी काफी दयनीय है। हालांकि राजधोबी जाति की अधिसंख्य आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है फिर भी नगरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति ज्यादा ही खराब है। तालिका 9 में लिंगवार साक्षरता दर को दर्षाया गया है। इस जाति की कुल साक्षरता दर मात्र 25.9 प्रतिशत है जिनमें पुरूषों की साक्षरता दर 31.8 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 19.2 प्रतिशत है। साक्षरता दर में लैंगिक असमानता काफी हद तक परिलक्षित होती है। महिला और पुरूष साक्षरता दर दोनों ही राज्य और देष की औसत साक्षरता दर से काफी कम है। आर्थिक स्थिति दयनीय होने की वजह से लोग अभी भी शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने बच्चों से घर के काम अथवा मजदूरी कराते हैं। शिक्षा को लोग आज भी सिर्फ नौकरी से जोड़कर देखते हैं। अगर शिक्षा के माध्यम से आगे नौकरी नहीं मिलती तो लोग सोचते हैं कि इसमें समय और धन निवेश करना बेकार है।

तालिका 9: लिंग के आधार पर कुल जनसंख्या की शैक्षणिक स्थिति का जिलावार विवरण (n=15,578)

पुरूष						
क्र0 सं0	जिला	निरक्षर		साक्षर		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	419	64.6	230	35.4	649
2	सुपौल	4580	76.8	1381	23.2	5961
3	अररिया	462	45.3	558	54.7	1020
4	पूर्णियाँ	203	30.9	454	69.1	657
5	सहरसा	2	8.3	22	91.7	24
कुल		5666	68.2	2645	31.8	8311
महिला						
1	मधुबनी	526	83.5	104	16.5	630
2	सुपौल	4532	86.7	698	13.3	5230
3	अररिया	532	62.4	321	37.6	853
4	पूर्णियाँ	281	53.2	247	46.8	528
5	सहरसा	4	15.4	22	84.6	26
कुल		5875	80.8	1392	19.2	7267
कुल योग		**11541**	**74.1**	**4037**	**25.9**	**15578**

इसी प्रकार से राजनीतिक क्षेत्र में इनकी सहभागिता तकरीबन नगण्य है। लगभग दो तिहाई (65.6 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके पास मतदाता पहचान पत्र तक नहीं है। इसका बड़ा कारण शैक्षणिक जागरूकता की कमी एवं मजदूरी से संबंधित पलायन भी है। छुआछूत के प्रचलन की वजह से भी इनकी शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस वजह से इनकी राजनैतिक सहभागिता भी कम होना स्वाभाविक है। यह जाति अभी तक पंचायत निर्वाचन में अत्यन्त पिछड़े वर्ग को मिले आरक्षण का भी समुचित लाभ नहीं उठा पाई है। यही कारण है कि यह समुदाय अभी तक पंचायत स्तर से ऊपर यथा नगर परिषद, जिला परिषद, विधान सभा, विधान परिषद,

लोकसभा एवं राज्य सभा आदि में किसी भी पद पर निर्वाचित होना तो दूर अपनी उम्मीदवारी भी सुनिश्चित नहीं कर पायी है।

सरकारी विकास योजनाओं में इस समुदाय की कम भागीदारी की एक मुख्य वजह इनका पिछड़ापन एवं अषिक्षित होना भी है। सारणी 10 में उत्तरदाताओं को सरकारी विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के कारण को दर्शया गया है। करीब आधे उत्तरदाताओं (48.3 प्रतिशत) को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का पता नहीं है और जिन लोगों को पता है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम बी०पी०एल० सूची में नहीं होने से लाभ नहीं मिल पाया है (51.7 प्रतिशत)।

तालिका 10: सरकारी योजनाओं से वंचित रहने के कारण के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3131)

क्र0 सं0	जिला	जानकारी का अभाव		बी0पी0एल0 सूची में नाम नहीं रहने के कारण		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	116	56.6	89	43.4	205
2	सुपौल	919	41.0	1324	59.0	2243
3	अररिया	303	75.4	99	24.6	402
4	पूर्णियाँ	173	63.1	101	36.9	274
5	सहरसा	0	0.0	7	100.0	7
कुल		1511	48.3	1620	51.7	3131

वर्त्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण एवं सुविधा का कुछ प्रभाव इस जाति पर भी पड़ा है। इसके प्रति सकारात्मक सोच भी है परन्तु आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण लोग इसका लाभ अभी तक नहीं उठा पाए हैं। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति ज्यादा ही खराब है। नगरों के आसपास वाले गाँवों में शिक्षा के प्रति अपेक्षाकृत सकारात्मक सोच है। आर्थिक रूप से संपन्न परिवार अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। उनके बच्चे पढ़ भी रहे हैं, परन्तु अब तक इस समुदाय से एक भी व्यक्ति उच्च पद पर चयनित नहीं हुआ है। शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के अभाव में इनका विकास होना भी बहुत मुश्किल है।

सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन स्तर

यद्यपि राजधोबी जाति को सरकार ने अनुसूचित जाति की जगह पिछड़ी जाति की श्रेणी में रखा है फिर भी समाजिक वर्ण व्यवस्था में यह जाति सबसे निचले पायदान पर है। इनके परंपरागत पेशे को घृणित कार्य के रूप में देखा जाता रहा है। इस संदर्भ में यह विचारणीय है कि शूद्र वर्ण में समय के साथ समाज की विभिन्न जातियों का समावेश हुआ जो अलग-अलग स्तर पर बिखरे पड़े थे और वे अलग-अलग कार्यो में संलग्न थे। इसमें ऐसी जातियों, जिनके कार्य को समाज ने हेय दृष्टि से देखा, वे जातियाँ अस्पृश्यता की शिकार बनी। सामाजिक स्थिति के संदर्भ में अध्ययन का निष्कर्ष यही निकलता है कि यह जाति अभी भी अस्पृश्य समझी जाती हैं। गाँवों में उच्च जाति के लोग इनके हाथों

से पानी पीने से अभी भी परहेज करते हैं। यह स्थिति बिहार के सभी पाँचों जिलों में है जहाँ इनकी आबादी है। अध्ययन के दौरान यह भी पता चला कि छुआछूत के दंश से बचने के लिए राजधोबी जाति के कई लोग अपने नाम के बाद जातिगत उपनाम नहीं लिखकर सिंह, कुमार, प्रसाद या अन्य उपनाम भी लिखने लगे हैं। इससे ये लोग गाँव के बाहर जाने पर छुआछूत के दंश से भी बचते हैं साथ ही इन्हें रोजी-रोजगार मिलने में भी थोड़ी सहूलियत हो जाती है।

राजधोबी जाति के लोग हिन्दू धर्म को मानते हैं, इसलिए इनके पूजा-पाठ का तरीका, रीति-रिवाज, संस्कृति आदि अन्य हिन्दू जातियों की तरह ही है। इस जाति के लोग प्राकृतिक देवी-देवताओं के रूप में आम, महुआ, नीम, बड़ एवं पीपल आदि वृक्षों की पूजा भी करते हैं। ये लोग वृक्षों, नदियों एवं पहाड़ों के प्राकृतिक स्वरूपों से संबंधित, प्रचलित धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण भी करते हैं। इसलिए इन्हें प्रकृतिवादी भी कहा जा सकता है। इनके मुख्य कुलदेवी एवं कुलदेवता लखाय बाबा, गाँगो गहील, विषहरी कालीबन्दी, चौदह दीवान गोरैया, भैरव, पंचपीर इत्यादि हैं। कुछ ऐसी सांस्कृतिक विशेषताएं जैसे शादी-विवाह का रस्म रिवाज, पर्व-त्योहार, श्राद्ध क्रियाकर्म, नवजात बच्चों का शुद्धीकरण आदि कम खर्च एवं कम समय में पूरा करते हैं जो अनुसूचित जातियों में भी देखी गई है। इनके पर्व-त्योहार भी हिन्दू रीति-रिवाज से होते हैं। ये लोग चौठचन्द, घड़ी, विषहरी, लखाय बाबा आदि की पूजा मुख्य रूप से करते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग छठ, जीवित पुत्रिका (जीउतिया), होली, दशहरा एवं दीपावली आदि त्योहार भी मनाते हैं।

इस समुदाय में बाल-विवाह का प्रचलन आज भी जारी है। अध्ययन में यह पाया गया कि लडकियों की शादी की औसत उम्र लड़कों की तुलना में बहुत कम है। 76.4 प्रतिशत लोग सामान्यतः अपनी लड़की की शादी 11 से 14 वर्ष की उम्र में कर देते हैं, जबकि 74.6 प्रतिशत लोग लड़कों की शादी 15 से 18 वर्ष तक की उम्र में करते हैं। शादी-विवाह हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार ही होता है। समुदाय में प्रायः पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करते हैं। इस जाति में विधूर विवाह भी होता है एवं एक पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी भी की जाती है। इसी तरह से इस समुदाय में विधवा विवाह का भी चलन है (तालिका 11 एवं 12)।

तालिका 11ः लड़कों / लड़कियों की शादी की औसतन उम्र के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	11 से 14 वर्ष		15 से 18 वर्ष		19 से 21 वर्ष		21 से अधिक		कुल
		सं0	%	सं0	%	सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	42	19.0	174	78.7	4	1.8	1	0.5	221
2	सुपौल	445	19.4	1711	74.7	124	5.4	11	0.5	2291
3	अररिया	5	1.2	381	89.0	34	7.9	8	1.9	428
4	पूर्णियाँ	0	0.0	148	51.9	70	24.6	67	23.5	285
5	सहरसा	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	100.0	9
कुल		492	15.2	2414	74.6	232	7.2	96	3.0	3234

लड़कियों की शादी की औसतन उम्र के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

1	मधुबनी	200	90.5	21	9.5	0	0.0	0	0.0	221
2	सुपौल	1879	82.0	405	17.7	7	0.3	0	0.0	2291
3	अररिया	290	67.8	133	31.1	5	1.2	0	0.0	428
4	पूर्णियाँ	102	35.8	160	56.1	23	8.1	0	0.0	285
5	सहरसा	0	0.0	1	11.1	8	88.9	0	0.0	9
कुल		2471	76.4	720	22.3	43	1.3	0	0.0	3234

तालिका 12: विधुर/विधवा विवाह के प्रचलन के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	हाँ		नहीं		कुल
		सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	221	100.0	0	0.0	221
2	सुपौल	2252	98.3	39	1.7	2291
3	अररिया	428	100.0	0	0.0	428
4	पूर्णियाँ	285	100.0	0	0.0	285
5	सहरसा	9	100.0	0	0.0	9
कुल		3195	98.8	39	1.2	3234

सामाजिक तौर पर राजधोबी उन जातियों में से हैं जिसे समाज में एक तिरस्कृत जाति के रूप में देखा जाता है। उच्च एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं। राजधोबी जाति के लोगों को समाज में अस्पृश्य अथवा अछूत के रूप में देखा जाता है। इनके साथ सामाजिक तौर पर भेद-भाव कोई नई बात नहीं है। इनके साथ गाँव के अन्य जाति के दबंग लोग ज्यादती भी करते हैं। तीन चौथाई से ज्यादा (75.8 प्रतिशत) उत्तरदाता ने स्वीकार किया कि उनके साथ ज्यादती एवं दुर्व्यवहार की घटना घटी है (तालिका 13)।

तालिका 13: ज्यादती अथवा दुर्व्यवहार के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	हाँ		नहीं		कभी-कभी		कुल
		सं0	%	सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	204	92.3	17	7.7	0	0.0	221
2	सुपौल	1900	82.9	231	10.1	160	7.0	2291
3	अररिया	219	51.2	57	13.3	152	35.5	428
4	पूर्णियाँ	120	42.1	78	27.4	87	30.5	285
5	सहरसा	9	100.0	0	0.0	0	0.0	9
कुल		2452	75.8	383	11.8	399	12.3	3234

सामंत एवं उच्च वर्ग के यहाँ शादी-विवाह एवं अन्य समारोह में इन्हें कभी-कभी निमंत्रण तो मिलता है लेकिन उच्च वर्ग के साथ बैठाकर खिलाया नहीं जाता है। इन्हें गाँव की अन्य जातियों जैसेः- मुसहर, डोम, चमार आदि के लोगों के साथ को बैठाकर खिलाया जाता है। ये लोग अपने जूठन को स्वयं

उठाते हैं। ग्रामीण ईलाकों में सामंत एवं उच्च वर्ग के लोग राजधोबी को खटिया, चौकी, कुर्सी, बेंच आदि पर बैठने नहीं देते हैं। इस जाति को उच्च जातियों द्वारा शादी-विवाह या अन्य किसी भी सामूहिक एवं सामाजिक भोज में निमंत्रण मिलता है परन्तु मुख्य उद्देश्य उनकी सेवाएं लेना ही रहता है (तालिका 14)।

तालिका 14ः उच्च जाति द्वारा शादी-विवाह में आमंत्रित करने के आधार पर उत्तरदाताओं का जिलावार वर्गीकरण (n=3234)

क्र0 सं0	जिला	हमेशा		कभी -कभी		कभी नहीं		कुल
		सं0	%	सं0	%	सं0	%	
1	मधुबनी	0	0.0	120	54.3	101	45.7	221
2	सुपौल	18	0.8	915	39.9	1358	59.3	2291
3	अररिया	17	4.0	134	31.3	277	64.7	428
4	पूर्णियाँ	3	1.1	91	31.9	191	67.0	285
5	सहरसा	5	55.6	4	44.4	0	0.0	9
कुल		43	1.3	1264	39.1	1927	59.6	3234

इनके हाथ से पानी पीने से भी परहेज किया जाता है। इन्हे मंदिरों में प्रवेश की अनुमति आज भी नहीं है। खासकर गाँवों के सार्वजनिक मन्दिरों में भेदभाव की स्थिति परंपरागत रूप से बनी हुई है। पुजारी भी इनकी पूजा को विशेष महत्व नहीं देते हैं। अस्पृश्यता वाली बात यहीं खत्म नहीं होती बल्कि सरकारी चिकित्सालयों में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। गरीबी, शैक्षणिक जागरूकता की कमी एवं इनके पहनावा-ओढ़ावा को देख कर अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सक भेदभाव करने से गुरेज नहीं करते।

पिछले कई वर्षों से राजधोबी समुदाय के लोग दोहरे दंश सहने को अभिशप्त हैं। इन्हें न तो समाज में उचित स्थान मिल पाया है, न ही इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। पहले जो सुविधा इन्हें सरकार की ओर से मिलती थी वह भी अनुसूचित जाति आरक्षण समाप्त होने के साथ जाती रही। धोबी जाति, जो कि राजधोबी समुदाय की मुख्य जाति है वो भी इन्हें अपने से कमतर आँकते हैं। वास्तव में राजधोबी समुदाय अन्य अनुसूचित जातियों जैसे पासी, चमार एवं धोबी से विकास के सभी पैमानों यथा शिक्षा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य आदि में काफी पीछे हैं। इसके बावजूद भी इस जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC) में शामिल कर लिया गया है।

निष्कर्ष

राज्य में राजधोबी जाति का रहन-सहन बहुत ही निम्न स्तर का है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, हर स्तर पर ये काफी पिछड़े हुए हैं। कई मामलों में इनकी स्थिति दलित जातियों से भी बदतर है। पारंपरिक पेशे को छोड़ ये खेती-मजदूरी करने लगे हैं, लेकिन इससे भी गुजारा न चल पाने के कारण कई लोग राज्य के बाहर पलायन करने लगे हैं। ज्यादातर लोगों को मुलभूत सुविधायें भी

उपलब्ध नहीं है। न तो इनके पास रहने को अच्छा घर है, न शौचालय की व्यवस्था और न ही पेयजल की सुविधा है। इस जाति की शैक्षणिक स्थिति भी काफी दयनीय है। महिलाओं की स्थिति तो अत्यधिक बदतर है। महिला और पुरूष साक्षरता दर दोनों ही राज्य और देश की औसत साक्षरता दर से काफी कम है। राजनीतिक क्षेत्र में भी इनकी सहभागिता तकरीबन नगण्य है। राजधोबी जाति को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रम एवं योजनाओं का पता तक नहीं चल पाता है और जिन लोगों को पता है उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें विभिन्न कारणों से लाभ नहीं मिल पाया है।

उच्च एवं अन्य पिछड़ी जातियों के लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं। इनके हाथ से पानी पीने से भी परहेज किया जाता है। हिंदी में एक कहावत है - धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। कुछ ऐसी ही हालत वर्त्तमान में राजधोबी जाति की भी है। अपनी मूल जाति 'धोबी' से अलग होकर ये सामाजिक रूप से और भी अधिक पिछड़े हो गए। इन्हें न तो समाज में उचित स्थान मिल पाया है और न ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। धोबी जाति जो राजधोबी समुदाय की मुख्य जाति थी वह भी इन्हें कमतर आँकते हैं। वास्तव में राजधोबी समुदाय धोबी जाति से विकास के सभी पैमानों यथा शिक्षा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य आदि में काफी पीछे हैं। यह कई दलित जातियों से पीछे हैं। इसके बावजूद भी इस जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया गया है। राजधोबी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने से इन्हें सरकारी सहायता मुहैया कराई जा सकती है और इनका जीवन-स्तर भी बेहतर किया जा सकता है। सरकार को इस जाति के लिए कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए, जिससे इन्हें भी समाज की मुख्य विकास की धारा में शामिल किया जा सके।

आभार

प्रस्तुत शोध पत्र एक वृहद् परियोजनाः राजधोबी जाति का नृजातीय अध्ययन का हिस्सा है, जिसे बिहार सरकार की आर्थिक सहायता से अनुग्रह नारायण सिंह शोध अध्ययन संस्थान द्वारा वर्ष 2017 में पूरा किया गया है। इस परियोजना के निदेशक एवं इस शोध पत्र के मुख्य लेखक डॉ. राजीव कमल कुमार, बिहार सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

संदर्भ सूची

1. अहमद, इमत्याज एवं अहसन कमर, (1999). *बिहार एक परिचयः* चतुर्थ संस्करण. नेशनल पब्लिकेशन, पटना.
2. गोपाल, सुरेंद्र, झा हेतुकर एवं सिंह, के. एस., (2008). *पिपुल ऑफ इंडिया, बिहार इनक्लूडिंग झारखंड,* वॉल्यूम 16, सिगुली बुक्स, कोलकाता.
3. हेमंत, (2011-2012*). बिहारनामा,* बिहार विधान परिषद्. प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली.
4. इंटरनेषनल ग्रोथ सेंटरः अरबेनाइजेशन एंड रूरल अरबन लिंकेज इन बिहार http://www.theigc.org/projrct/growth.
5. मल्होत्रा, वी. के., एनालिसिस ऑफ इंडियन ऑफिसियल स्टेटिसटिक. http://www.v.k.malhotra50.blogspot.in
6. रिसले, एच. एच., (1891). *द ट्राइब्स एंड कास्टस् ऑफ बंगालः* वॉल्यूम-1. बंगाल सेक्रेटेरियट प्रेस, कोलकाता.

7. सच्चिदानंद, (1977). *द हरिजन इलीटः ए स्टडी ऑफ देयर स्टेटस, नेटवर्क्स, मोबिलीटी एण्ड रोल इन सोशल ट्रांसफॉरमेशन*, फरीदाबाद, थॉमसन प्रेस.
8. शर्मा, लाल, (2000). *बिहार जिला दर्शन एवं सामान्य ज्ञान*. उपकार प्रकाशन, आगरा.
9. सिंह, के. एस., (1998). *इंडिया कम्यूनिटीज (A-G), पिपुल ऑफ इंडिया नेषनल सिरीजः* वॉल्यूम,4, एंथ्रोपोलिजीकल सर्वे ऑफ इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, पीपी-830-842
10. जनगणना (2011). http://www.census2011.co.in/census/state/bihar.
11. जनगणना (2011). http://www.bihar.gov.in/bihar/profile
12. https://www.hi.wikipedia.org
13. भट्टाचार्या, बिपलब. (2008). *द राजधोप, इन पिपुल ऑफ इण्डिया*, बिहार इनक्लूडिंग झारखण्ड, सुरेन्द्र गोपाल एण्ड हेतुकर झा, (इडीएस) एण्ड के० एस० सिंह (जेन. इडि.), पार्ट – II, भोल. XVI, पी पी 799-800.
14. रसेल, आर (1916). *द ट्राइब्स एण्ड कास्ट्स ऑफ द सेन्ट्रल प्रोविन्सेस ऑफ इडिण्या*, भोल. I लन्दनः मैकमिलन एण्ड को०.
15. बिहार डेभलपमेन्ट रिपोर्ट. 2012. *ए स्टडी फोर*, प्रभात खबर, मई 2012, नई दिल्लीः इण्डिकस पनालाइटिक्स प्रा० लिमिटेड.
16. घुरिये, जी., (1957). *कास्ट एण्ड क्लास इन इण्डिया*. बम्बईः पोपुलर प्रेस.
17. इंटरनेशनल ग्रोथ सेन्टरः www.theigc.org/project/growth urbanization and rural-urban linkage in Bihar.
18. डेमोग्राफिक्स ऑफ बिहार, https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of _bihar on 16.01.2017
19. बिहार पोपुलेशन सेन्सस डाटा 2011, http://www.census.2011.co.in/census/state/bihar.html on 16.01.2017.
20. बिहार स्टेट प्रोफाइल, www.bihar.gov.in/biharprofile, downloaded on 15.12.16.